संख्या-35/2017/1526/35-3-2017-1(51)/2015

प्रेषक,

नीना शर्मा,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण,

जनपद- गाजियाबाद, अलीगढ, महामायानगर, हरदोई, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, जालौन, बॉदा, फतेहपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, चन्दौली, कॉशीराम नगर एवं अमेठी, उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 07 नवम्बर, 2017**

विषयः राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य में क्षेत्र से प्राप्त संशोधनों एवं नए व्यक्तियों को डेटाबेस में समाहित करने संबंधी कार्य को जनपद स्तर पर पूर्ण किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उप महारजिस्ट्रार (नियन्त्रक अधिकारी) जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0 के पत्रांक- डीडीई/डीसीओ-यूपी/474 दिनांक 18/10/2017 द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य में क्षेत्र से प्राप्त संशोधनों एवं नए व्यक्तियों को डेटाबेस में समाहित करने संबंधी कार्य को आपके जनपदों में शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

अस्तु अनुरोध है कि प्रश्नगत कार्य को जनपद स्तर पर पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र सर्वोच्च प्राथमिकता पर जनगणना कार्य निदेशालय एवं नियोजन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(**नीना शर्मा**)
सचिव।

संख्या-35/2017/1526(1)/35-3-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए मानसिंह रोड,नई दिल्ली-110011
2. समस्त संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. उप महारजिस्ट्रार (सी एण्ड टी), नियन्त्रक अधिकारी, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ को उनके पत्रांक-डीडीई/डीसीओ-यूपी/474 दिनांक 18/10/2017 के संन्दर्भ में।

5- संयुक्त निदेशक,जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(**आर0एन0एस0 यादव**)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।